

फैक्स
एवं
ई-मेल

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-22/2017.....70/जे0, पटना, दिनांक 05-03-18

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
लखीसराय ।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा दूरभाष विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु निम्न प्रकार कुल-12,20,000/-(बारह लाख बीस हजार) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

॥ आवंटित राशि का ब्यौरा ॥

क्र०सं०	विषयशीर्ष	आवंटन की राशि (रूपये में)
1.	01.01-01.07-वेतन एवं भत्तों	11,50,000/-(ग्यारह लाख पचास हजार)
2.	13.02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	30,000/-(तीस हजार)
3.	13.03-दूरभाष	40,000/-(चालीस हजार)
कुल:-		12,20,000/-(बारह लाख बीस हजार) रुपये

प्रसंग:- आपका पत्र संख्या-147/2018, दिनांक-22.02.2018

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा दूरभाष विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक-17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि0, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001050001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-22/2017.....70/जे0, पटना, दिनांक 05-03-18

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-22/2017.....70/जे0, पटना, दिनांक 05-03-18

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-22/2017.....70/जे0, पटना, दिनांक 05-03-18

प्रतिलिपि:-विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।